

241
2/8/2021

389

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ 4(3)(3)स्वीप/निजी/PwD/2018/3713

जयपुर, दिनांक : 30.07.2021

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित

- | | | |
|--|--|---|
| 1. आगुक्त
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग, जयपुर | 2. आयुक्त,
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर। | 3. निदेशक, निदेशालय,
स्कूल शिक्षा (मा),
बीकानेर |
| 4. निदेशक,
निदेशालय विशेष योग्यजन,
जयपुर | 5. सगरसत जिला निर्वाचन
अधिकारी (कलक्टर),
राजस्थान। | |

J.D. Acad.

2/8/2021

विषय : State Steering Committee on Accessible Elections (SSCAE) की वार्षिक बैठक
मिनिट्स की क्रिया-वृद्धि बाबत।

प्रसंग : SSCAE के Minutes निर्वाचन विभाग पत्रांक 3279 दिनांक 30.06.2021।

महोदय,

उपर्युक्त विषय-सम्बन्धी प्रशासनिक पत्र के क्रम में लेख है कि विशेष योग्यजन को मतदाता प्रक्रिया की मुख्यधार में आना हेतु निर्वाचन विभाग कृतशकल्य है। इस दिशा में निरन्तर अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में दिनांक 27.06.2021 को आयोजित की गई SSCAE की वार्षिक बैठक के Minutes (संलग्न) अनुसार निर्मांकित गतिविधियों का संपादन संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा एक निश्चित समयवधि में किया जाना अपेक्षित है।

2/8/21

क्र.सं.	गतिविधि	संपादन हेतु विभाग/एजेन्सी	समयावधि
1	ELC पंजीकरण • स्कूल • कॉलेज • VAF • चुनाव पाठशाला	DEO एवं ERO	स्कूल/कॉलेज - निरन्तर
	चुनाव पाठशाला	BLO	सगरसत 52009 मतदान बूथ अगस्त 30 तक
		BLO, DEO/ERO दिनांक 3279 दिनांक 30.06.2021 की अनुपालना सुनिश्चित करना	स्कूल/कॉलेज - निरन्तर चुनाव पाठशाला सगरसत 52009 मतदान बूथ अगस्त 30 तक
4	पृष्ठ Facebook page विशेषयोग्यजनों हेतु	CEO स्वीप शाखा (सोशल मीडिया प्रगारी) उच्चत Page का विस्तृत प्रचार-प्रसार, उपयोग, Follow/Like, Post	निरन्तर
		DEO, ERO	15 अगस्त तक
4	Webinars एवं Podcasts का सम्पूर्ण प्रयोग। Webinars का कलेंडर निर्धारण	CEO, DEO, ERO, ELC Nodal, CSOs, CEO SVEEP Consultant	निरन्तर 25 अगस्त तक
5	कॉलेज शिक्षा से एक प्रतिनिधि को SSCAE में सगरसत / विशेष Invitee के रूप में जोड़ना	CEO, SVEEP Cell आगुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।	30 अगस्त तक

शु

6	प्रत्येक कॉलेज द्वारा Campus Ambassador का चयन मतदाता जागरूकता गतिविधियों में CA की सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना	आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। ELC Nodal College ELC Nodal /CSOs	अगस्त 15 तक निरंतर
7	मतदाता जागरूकता संबंधी IEC सामग्री के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल का न्यायोचित प्रयोग सुनिश्चित करना	SJED, CSOs, PwD NGOs, SJED द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाए	15 अगस्त तक दिशा निर्देश जारी किए जाए एवं निरंतर प्रयोग किया जाए।
8	PwD के 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु BLO एवं पंचायत मुखिया को NVD-2022 पर पुरस्कृत करना	DEO, जिला स्वीप प्रभारी, ERO, BLO निर्वाचन विभाग द्वारा उक्तानुसार दिशा निर्देश जारी करना	15 सितम्बर तक
9	Cluster Enrollments Camps का निरंतर आयोजन, विभिन्न विभाग एवं VAF से समन्वय करना	DEO, ERO समस्त विभाग (VAF स्थापित) SJED PwD NGOs/CSOs, ELC Nodal	30 सितम्बर तक एवं SSR 2022 के दौरान
10	BLO द्वारा प्रत्येक रविवार को जनसम्पर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत, मतदाता जागरूकता/पंजीयन हेतु गतिविधि आयोजन	DEO, स्कूल शिक्षा विभाग, BLO, ELC	निरंतर
11	समस्त NGO/संगठन स्तर पर VAF स्थापित करना। समस्त स्कूल कॉलेज स्तर पर ELC स्थापित करना	PwD NGOs/CSOs आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, निदेशालय (भा.) स्कूल शिक्षा	30 सितम्बर तक 30 सितम्बर तक
12	समस्त PwD NGOs/ CSOs से व्यक्तिगत Data एकत्रित करना एवं निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराना	CEO, SVEEP CELL	15 सितम्बर तक
13	Volunteers एवं विशेष शिक्षकों का समूहवार प्रशिक्षण	Webinar Calandar के अन्तर्गत SVEEP शाखा, DEO, ERO, NSS/NCC/ NYK, NLMA आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, निदेशालय (भा.) स्कूल शिक्षा	30 सितम्बर तक

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक : 30/07/2021

कमांक: एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/PwD/2018/3713

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त जिला स्वीप नोडल अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त जिला नोडल अधिकारी, PwD, राजस्थान।
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी, ELC स्कूल/कॉलेज राजस्थान।
6. राज्य स्तरीय समिति सदस्यगण।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राजस्थान, जयपुर।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक:-एफ-7 (4)विधि/अकाद/आकाशि/2019/95

दिनांक :- 05/08/2021

पृष्ठांकित प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने के हेतु।

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)